

॥ ओ३म् ॥

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार

(ग्रैड प्राप्त एवं यूजी०सी० एक्ट 1956 के सेक्षन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

Gurukula Kangri (Deemed to be University) Haridwar

(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

दिनांक 28.12.2023

सेवा में,

समन्वयक / संकायाध्यक्ष,

कन्या गुरुकुल परिसर हरिद्वार / देहरादून, प्राच्यविद्या / मानविकी / विज्ञान / जीव-विज्ञान / अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी / प्रबन्ध अध्ययन / आयुर्विज्ञान एवं स्वास्थ्य / योग एवं शारीरिक शिक्षा विभाग।

महोदया / महोदय,

कृपया अपने संकाय / परिसर में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी समान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को सत्र 2023–24 के लिए प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों को सूचित करने का कष्ट करें। संकायाध्यक्ष तथा समन्वयक इस विषय का विशेष ध्यान रखें कि अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र किसी भी दशा में संकाय / परिसर स्तर पर स्वीकार न करें और न ही उन्हें अग्रसारित करें। छात्रवृत्ति आवेदन हेतु विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसी अन्य जानकारी व आवेदन करने की अन्तिम तिथि में परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी के लिए www.scholarship.up.nic.in का अवलोकन करें।

समन्वयक / संकायाध्यक्ष से अनुरोध किया जाता है कि विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों को अपने संकाय से तीन दिन के अन्दर एस०सी०—एस०टी० सेल में भिजवाने का कष्ट करें। जिससे विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों को निश्चित समयावधि में ऑनलाइन अग्रसारित किया जा सके।

आवेदन करने की अतिंम तिथि :—

समान्य वर्ग हेतु— 10.01.2024

एस०सी० वर्ग हेतु— 31.01.2024

एस०टी० वर्ग हेतु— 31.01.2024

नोट:- यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा माता के नाम का आय प्रमाण—पत्र दिया जाये तो उस छात्र/छात्रा से पिता का मृत्यु प्रमाण—पत्र या अन्य कारण का प्रमाण—पत्र अवश्य लें।

अधिकतम आय सीमा —

समान्य वर्ग— 200000/-

एस०सी० / एस०टी०—250000/-

प्रतिलिपि:—

- कुलपति कार्यालय (सूचनार्थ)
- कुलसचिव कार्यालय (सूचनार्थ)
- सम्पर्क अधिकारी (SC-ST CELL)
- वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर।

नोडल अधिकारी
(छात्रवृत्ति)